

राजस्व आदेश अनुवृत्ति-पत्र

रा.प्र.क्र. 202506092100011 अ-62 वर्ष 2024-25

(3)

(1)

(2)

14/07/2025

01. प्रकरण पेश ।
02. आवेदक अनुपस्थित ।
03. राजस्व निरीक्षक चारभाठा द्वारा संयुक्त निरीक्षण प्रतिवेदन एवं पंचनामा पेश किया गया है ।
04. राजस्व निरीक्षक द्वारा अपने प्रतिवेदन दिनांक 02/07/2025 में लेख किया है कि आवेदित भूमि में स्थित कुल 10 नग सागौन वृक्षों की कटाई हेतु लगाये गये आवेदन के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 01/07/2025 को ग्राम पीटेपानी के हल्का पटवारी एवं वन विभाग के कर्मचारी के साथ संयुक्त रूप से स्थल निरीक्षण हेतु मौका में उपस्थित हुआ एवं अवलोकन करने पर पाया कि कृषि कार्य प्रारंभ हो चुका है वृक्ष कटाई एवं स्थल निरीक्षण से कृषि कार्य में बाधा उत्पन्न होने की संभावना है। आवेदक वृक्ष कटवाने हेतु अनिच्छुक है। जिसके कारण स्थल निरीक्षण करना संभव नहीं है।
05. राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन एवं पंचनामा से सहमत होते हुए आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन निरस्त किया जाता है।
06. आवेदक आगामी सत्र में नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
07. प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(AC)

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
डोंगरगढ़